

नगर पंचायत दनकौर, गौतमबुद्धनगर  
सम्पत्ति कर निर्धारण वर्ष 2016-17

सम्पत्ति के वार्षिक किराया मूल्य निर्धारण हेतु स्वमूल्यांकन आवेदन पत्र

1 सम्पत्ति का कम्प्यूटर क्रमांक

2 करदाता का नाम .....पिता/पति का नाम.....

3 भवन संख्या.....मोहल्ला.....वार्ड संख्या.....नगर पंचायत दनकौर

4 करदाता का मोबाइल नं०

5 करदाता का पहचान पत्र सं०

(वोटर आईडी/डीएलओ/आधार कार्ड/पैन कार्ड सं०)

6 करदाता का बैंक खाता विवरण:-

बैंक का नाम:-

शाखा का नाम:-

खाता सं०-

IFSC Code:-

करदाता का नवीनतम  
फोटोग्राफ

7 करदाता की श्रेणी:-

विधवा

विकलांग

अन्य

8 करदाता की प्रकृति:-

1 भवन स्वामी

2 अध्यासी

1.1 एकल स्वामी

1.2 संयुक्त स्वामी

साझीदारों के नाम:-

2 श्री

4 श्री

3 श्री

5 श्री

9 भवन के उपयोग एवं अध्यासन का प्रकार:-

आवासीय

व्यवसायिक

मिश्रित

1 स्वअध्यासन

1 स्वअध्यासन

2 किरायेदार

2 किरायेदार

व्यवसायिक/मिश्रित गतिविधि का विवरण:-

10 मोहल्ले की श्रेणी:-

ए

बी

सी

नियम देखें

11 भवन/भूमि का प्रकार

पक्का भवन

अर्द्ध पक्का

कच्चा भवन

रिक्त भूखण्ड

12 भवन की अवस्थिति (मार्ग चौड़ाई )

3 मीटर से कम

3 मीटर से अधिक व 6 मीटर से कम

6 मीटर से अधिक

13 निर्धारित मासिक किराया दर:-

रु०  प्रति वर्ग फीट

14 भवन में विभिन्न तलों के कारपेट क्षेत्रफल (Corpet Area) (वर्ग फीट में), एवं निर्माण का विवरण:-

भूमिगत तल के कार्पेट क्षेत्र का विवरण:-

निर्माण का वर्ष-

	संख्या	कुल क्षेत्रफल		कारपेट एरिया	
कमरा			× 1.00 =		वर्ग फीट
वारामदा			× 1.00 =		वर्ग फीट
बाल्कनी			× 0.50 =		वर्ग फीट
गलियारा			× 0.50 =		वर्ग फीट
रसोईघर			× 0.50 =		वर्ग फीट
भण्डार गृह			× 0.50 =		वर्ग फीट
गैराज			× 0.25 =		वर्ग फीट
<b>भूमिगत तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल</b>			=		वर्ग फीट

आवासीय

  
 1 स्वअध्यासन   
 2 किरायेदार 

व्यवसायिक

  
 1 स्वअध्यासन   
 2 किरायेदार 

प्रथम तल के कार्पेट क्षेत्र का विवरण:-

निर्माण का वर्ष-

	संख्या	कुल क्षेत्रफल		कारपेट एरिया	
कमरा			× 1.00 =		वर्ग फीट
वारामदा			× 1.00 =		वर्ग फीट
बाल्कनी			× 0.50 =		वर्ग फीट
गलियारा			× 0.50 =		वर्ग फीट
रसोईघर			× 0.50 =		वर्ग फीट
भण्डार गृह			× 0.50 =		वर्ग फीट
गैराज			× 0.25 =		वर्ग फीट
<b>प्रथम तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल</b>			=		वर्ग फीट

आवासीय

  
 1 स्वअध्यासन   
 2 किरायेदार 

व्यवसायिक

  
 1 स्वअध्यासन   
 2 किरायेदार 

द्वितीय तल के कार्पेट क्षेत्र का विवरण:-

निर्माण का वर्ष-

	संख्या	कुल क्षेत्रफल		कारपेट एरिया	
कमरा			× 1.00 =		वर्ग फीट
वारामदा			× 1.00 =		वर्ग फीट
बाल्कनी			× 0.50 =		वर्ग फीट
गलियारा			× 0.50 =		वर्ग फीट
रसोईघर			× 0.50 =		वर्ग फीट
भण्डार गृह			× 0.50 =		वर्ग फीट
गैराज			× 0.25 =		वर्ग फीट
<b>द्वितीय तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल</b>			=		वर्ग फीट

आवासीय

  
 1 स्वअध्यासन   
 2 किरायेदार 

व्यवसायिक

  
 1 स्वअध्यासन   
 2 किरायेदार 

तृतीय तल के कार्पेट क्षेत्र का विवरण:-

निर्माण का वर्ष-

	संख्या	कुल क्षेत्रफल		कारपेट एरिया	
कमरा			× 1.00 =		वर्ग फीट
वारामदा			× 1.00 =		वर्ग फीट
बाल्कनी			× 0.50 =		वर्ग फीट
गलियारा			× 0.50 =		वर्ग फीट
रसोईघर			× 0.50 =		वर्ग फीट
भण्डार गृह			× 0.50 =		वर्ग फीट
गैराज			× 0.25 =		वर्ग फीट
<b>तृतीय तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल</b>			=		वर्ग फीट

आवासीय

  
 1 स्वअध्यासन   
 2 किरायेदार 

व्यवसायिक

  
 1 स्वअध्यासन   
 2 किरायेदार 

चतुर्थ तल के कार्पेट क्षेत्र का विवरण:-

निर्माण का वर्ष-

	संख्या	कुल क्षेत्रफल		कारपेट एरिया	
कमरा			× 1.00 =		वर्ग फीट
वारामदा			× 1.00 =		वर्ग फीट

आवासीय

  
 1 स्वअध्यासन

बालकनी		× 0.50 =		वर्ग फीट
गलियारा		× 0.50 =		वर्ग फीट
रसोईघर		× 0.50 =		वर्ग फीट
भण्डार गृह		× 0.50 =		वर्ग फीट
गैराज		× 0.25 =		वर्ग फीट
<b>चतुर्थ तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल</b>		=		वर्ग फीट

2 किरायेदार

व्यवसायिक

1 स्वअध्यासन

2 किरायेदार

**भवन के कुल कारपेट क्षेत्रफल की गणना:-**

भूमिगत तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल	=		वर्ग फीट
प्रथम तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल	=		वर्ग फीट
द्वितीय तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल	=		वर्ग फीट
तृतीय तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल	=		वर्ग फीट
चतुर्थ तल का कुल कारपेट क्षेत्रफल	=		वर्ग फीट
<b>भवन के कुल कारपेट क्षेत्रफल (महायोग)</b>	=		<b>वर्ग फीट</b>

**15 भवन का वार्षिक किराया मूल्य निर्धारण:-**

$$\text{भवन के कुल कारपेट क्षेत्रफल} \times \text{निर्धारित मासिक किराया दर} \times 12$$

$$\boxed{\phantom{00000}} \times \boxed{\phantom{00000}} \times 12 = \boxed{\text{रु0}}$$

शब्दों में:-

**16 उद्घोषणा-मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने अपने उपरोक्त भवन के सम्बंध में कोई तथ्य नहीं छुपाया है यदि जाँच के दौरान उपरोक्त कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो मैं निर्धारित अर्थदण्ड जमा करने को तैयार हूँ। अतः कृपया वार्षिक किराया मूल्यांकन पर निर्धारित गृहकर-जलकर जमा कराने की कृपा करें।**

करदाता के हस्ताक्षर  
दिनांक:-

**कार्यालय प्रयोगार्थ:-**

**17 विभागीय लिपिक की आख्या :-**

**भवन का वार्षिक गृहकर निर्धारण:-**

$$\text{वार्षिक गृहकर} = \text{भवन का वार्षिक किराया मूल्य} \times 0.11$$

$$= \boxed{\text{रु0}} \times 0.11$$

$$\text{वार्षिक गृहकर} = \boxed{\text{रु0}}$$

शब्दों में रु0